

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
प्र० क्र० 01-अ/82 वर्ष 2017-18 ग्राम अमलेश्वर तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
(अनिवार्य भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 के अंतर्गत लैण्ड एक्वीजिशन)

(संशोधित लोक सूचना)

चूंकि राज्य शासन का इरादा है कि इतनी जमीन इस कारण से नीचे लिखे हुए मौजा के रकबा में जैसी सूरत हो ली जावेगी। इसलिए ये इकरार जारी किया जाता है कि सब जमीन के हैसियतदार निजी के या मुखतयार के द्वारा भू-अर्जन अधिकारी पाटन जिला दुर्ग छ.ग. के अदालत में तारीख 30/09/2019 को हाजिर हो और हैसियत की किस्म और हाल तादात और मुआवजे के दावों का स्वामित्व हैसियत के बारे में स्वतः अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से पेश कर सकते हैं।

(परिशिष्ट)

जिला	तहसील	नगर ग्राम	क्र.	भूमि स्वामी का नाम	पिता व पति का नाम	अर्जित की जाने वाली भूमि हे० में		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
						खसरा	क्षेत्रफल	
दुर्ग	पाटन	अमलेश्वर प.ह.न. 05	01	पुष्पा अग्रवाल	सागरमल अग्रवाल	628/3	0.450	महावदेव घाट एनीकट परिक्षेत्र विकसित (सौन्दर्यीकरण) योजना हेतु
"	"	"	02	सुजाता अग्रवाल	राजकुमार अग्रवाल	628/53	0.140	"
दुर्ग	पाटन	अमलेश्वर प.ह.न. 05	03	राजकुमार अग्रवाल	सागरमल अग्रवाल	629	0.340	महावदेव घाट एनीकट परिक्षेत्र विकसित (सौन्दर्यीकरण) योजना हेतु
योग						03	0.930	

- 1- कार्यालय कलेक्टर व तहसीलदार नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।
- 2- ग्राम व पंचायत के सार्वजनिक स्थल में चस्पा व मुनादी हेतु।
- 3- योजना में प्रभावित स्थल में चस्पा हेतु।
- 4- कार्यालय प्रति, प्रमाणित कार्यालय वापसी हेतु।
- 5- छ.ग. शासन के भू-अर्जन वेबसाईट में अपलोड किया जावे।
- 6- कार्यपालन अभियंता जल प्रबंध संभाग क्रमांक 01 रायपुर (छ.ग.)।
- 7- जिला सूचना अधिकारी दुर्ग को अपलोड हेतु सूचनार्थ।

जारी दिनांक : 31/08/2019



अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)